

न्यायालय :- संतोष कुमार कोल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

दा0प्र0क0 - 290/09
संस्थित दि0 - 29.06.2009

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चन्देरी,
जिला - अशोकनगर, म0प्र0

----- अभियोजन

विरुद्ध

1. दिलबाग सिंह पुत्र अमरीक सिंह,
जाति-सिख, आयु-40 वर्ष,
निवासी-ग्राम खलीलपुर, थाना चन्देरी,
जिला - अशोकनगर म0प्र0

----- अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 18.12.2014 को घोषित)

1. आरोपी पर भा0दं0वि0 की धारा 498ए, 323 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है कि, दिनांक 26.05.2009 को दोपहर 11:00 बजे ग्राम खलीलपुर में फरियादिया बबली उर्फ राजकौर के पति होते हुए दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता की तथा उसके साथ मारपीट की।
2. अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि, फरियादिया की शादी 11-12 साल पहले दिलबाग सिंह के साथ हुई थी तथा उसके 2 लड़के हैं जो 8 व 9 साल के हैं। फरियादिया का पति उसे करीब 3-4 वर्ष पहले से ही दारु पीकर मारपीट करता आ रहा है व उसे खाने को नहीं देता था व खर्चा नहीं देता था और फरियादिया से कहता था कि, तेरे मायके वालों से रुपये लेकर आ। करीब 3-4 माह पहले फरियादिया के पिता चैनसिंह ने दिलबाग को एक बी.पी.एल. का कलर टी.व्ही. व कपड़े, रुपये आदि दिये थे फिर भी दिनांक 26.05.2009 को फरियादिया का पति दिलबाग ने दारु पीकर उसकी मारपीट की, सिर में पत्थर मारा जिससे उसका सिर फट गया और खून निकल आया, दूसरा पत्थर पेट में मारा व पटक दिया जिससे फरियादिया गिर पड़ी तब फरियादिया ने मोबाइल से अपने भाई को बताया तब उसका भाई गुरुपाल फरियादिया के घर आया तब फरियादिया अपने भाई व अचलगढ के अजीत पाल सिंह के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर थाने रिपोर्ट करने गयी। थाना चन्देरी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया

गया, दौरान विवेचना साक्षियों के कथन लिये गये, आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया तथा आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया ।

3. आरोपी पर भा०दं०वि० की धारा 498-ए तथा 323 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप लगाए जाने पर आरोपी ने आरोप अस्वीकार कर विचारण चाहा। विचारण दौरान फरियादी द्वारा धारा 498-ए तथा 323 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का शमन कर दिये जाने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 323 भा०दं०वि० के अंतर्गत अपराध शमनीय होने से आरोपी को उक्त अपराध में दोषमुक्त किया गया। किंतु भा०दं०वि० की धारा 498-ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध अशमनीय प्रकृति का हो जाने से उक्त धारा अंतर्गत विचारण जारी रखा गया, अभियोजन द्वारा आई हुई साक्ष्य तथा राजीनामा के तथ्य को देखते हुए, न्यायालय के समय एवं शासन की धनराशि के अपव्यय रोकने के उद्देश्य से अभियोजन द्वारा, अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित की गई। धारा 313 द०प्र०सं० के अंतर्गत आरोपी का परीक्षण किये जाने पर उसने झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया तथा बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न है कि :-

क्या आरोपी ने दिनांक 26.05.2009 को दोपहर 11:00 बजे ग्राम खलीलपुर में फरियादिया बबली उर्फ राजकौर के पति होते हुए दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी बबली (अ.सा.-1), सुरेन्द्र सिंह (अ.सा.-2), डॉ. आर.पी.शर्मा (अ.सा.-3), अजीतपाल सिंह (अ.सा.-4) के कथन लेखबद्ध कराये गये हैं।

6. फरियादी साक्षी बबली (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया है कि, आरोपी उसका पति है। उसका और आरोपी का वाद-विवाद हो गया था जिसकी उसने रिपोर्ट की थी जो प्र०पी०-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी के द्वारा इस बात से इन्कार किया है कि, आरोपी उससे दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करता था व शराब पीकर उसे मारता था।

7. इसी प्रकार साक्षी सुरेन्द्र सिंह (अ.सा.2), अजीत पाल सिंह (अ.सा.4) ने अपने न्यायालीन कथन में बताया गया है कि, उन्हें घटना के

संबंध में कोई जानकारी नहीं है और न ही किसी ने कुछ बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी के द्वारा इस बात से इन्कार किया है कि, आरोपी अपनी पत्नि बबली को दहेज के लिए परेशान करता था और प्रताडित करता था व शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था।

8. इस प्रकार प्रकरण में स्वयं फरियादिया एवं अन्य साक्षीगण द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा फरियादिया, आरोपी के साथ ही निवासरत है। इस प्रकार राजीनामा के तथ्य तथा दाम्पत्य संबंध एवं सारवान साक्षियों के कथनों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन द्वारा साक्ष्य समाप्त घोषित की गई है। यदि अन्य साक्षियों को आहूत कर साक्ष्य ली जाती तब भी अन्य कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते थे।

9. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह साबित नहीं है कि, आरोपी ने फरियादिया बबली उर्फ राजकौर के पति होते हुए दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कूरता की। अतः आरोपी को भा0दं0वि0 की धारा 498-ए का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित न होने से उन्हें उक्त आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है, आरोपी के जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

10. प्रकरण में जप्तशुदा कुछ नहीं है। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया।

संतोष कुमार कोल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर

संतोष कुमार कोल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला अशोकनगर